राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 717/2016

श्रीमती शैली **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक (संस्कृत शिक्षा), शिक्षा संकुल, ब्लॉक नं. 6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.05.2016

आदेश की दिनांक : 02.01.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र शाह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.03.2016 को अवैध घोषित करते हुये प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि रिक्ति वर्ष 2002–03 के विरूद्ध 3 रिक्त पदों पर कॉलेज व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद पर अपीलार्थी के नाम पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे और नियम, 1978 के अंतर्गत अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड प्रथम के पद पर वर्ष 1995 में आदेश दिनांक 16.11.1995 के द्वारा हुई थी और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2002 में सीधी भर्ती द्वारा कॉलेज व्याख्याता की भर्ती की गई और उक्त पद पर पदोन्नति हेतु कोई डीपीसी नहीं की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.10.2002 के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड प्रथम को उनके पाते हुये वेतन/वेतनमान में डीपीसी आयोजित होने अथवा अन्य आज्ञा प्रसारित होने तक इनमें जो भी पहले हो की अवधि के लिये व्याख्याता के पद पर पदस्थापित किये गये और इस प्रकार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अध्यापक ग्रेड प्रथम के पद पर आदेश दिनांक 11.03.2015 के द्वारा रिवर्ट कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3611/2015 प्रस्तुत की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश जारी किया गया। उनका कथन है कि राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 में यूजीसी द्वारा योग्यता का जो समावेश है उसे आवश्यक माना है, जिसे संशोधित नहीं किया गया है और जहां तक व्याख्याता कॉलेज शिक्षा का संबंध है, वह राज्य सरकार द्वारा नियम बनाये गये हैं। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियम, 2015 का हवाला दिया गया है, जो दिनांक 09.10.2015 से उपयुक्त है और इस प्रकार नियम, 1978 अपीलार्थी के संबंध में लागू होता है जबकि नियम, 2015 लागू नहीं होता है और नियम, 1978 के अंतर्गत योग्यता एवं शिक्षा अपीलार्थी के संबंध में लागू होगी और इस प्रकार अपीलार्थी संस्कृत कॉलेज शिक्षा में रिक्ति वर्ष 2002–03 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु विचारणीय योग्य है। श्री बृज मोहन मीणा जो अपीलार्थी से वरिष्ठता में नीचे है और शैक्षणिक योग्यता में भी अयोग्य है तथा अपीलार्थी व्याख्याता कॉलेज शिक्षा के पद पर वर्ष 2002–03 के विरूद्ध योग्य थी, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त पद हेतु कोई डीपीसी आयोजित नहीं की गई, जिसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में भी स्वीकार किया गया और इस प्रकार आलोच्य आदेश दिनांक 30.03.2016 यूजीसी नार्म्स के अनुसार जायज नहीं है और अपीलार्थी के नाम पर व्याख्याता कॉलेज शिक्षा के पद पर रिक्ति वर्ष 2002–03 के विरूद्ध विचारणीय योग्य है तथा नियमानुसार दिनांक 01.04.2002 के अनुसार अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति पाने का अधिकारी है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियम, 1978 के बजाय नियम, 2015 का हवाला दिया गया है, जो अपीलार्थी पर लागू नहीं होता है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.03.2016 को अवैध घोषित करते हुये प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि रिक्ति वर्ष 2002–03 के विरूद्ध 3 रिक्त पदों पर कॉलेज व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद पर अपीलार्थी के नाम पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे और नियम, 1978 के अंतर्गत अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3611/2015 में दिनांक 26.03.2015 को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 09.03.2015 पर स्थगन प्रदान किया और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में आदेश दिनांक 12.05.2015 से अंतरिम आदेश दिनांक 26.03.2015 को याचिका के अंतिम निर्णय तक कंफर्म किया है। कार्मिक वर्तमान वेतनमान में पातेय वेतन में व्याख्याता कॉलेज के पद पर स्थगन पर कार्यरत है। अपीलार्थी का मूल पद वरिष्ठ अध्यापक प्रथम श्रेणी (विद्यालय शाखा) है और पातेय वेतन पर महाविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों की पदोन्नति हेतु योग्यता/पात्रता का विषय विचाराधीन है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.09.2022 के द्वारा राजस्थान संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) सेवा नियम, 2022 प्रकाशित हो चुके हैं। पातेय वेतन के अंतर्गत माननीय न्यायालय के स्थगन के कारण यथावत कार्य कर रहे कार्मिकों में से वरिष्ठ एवं पात्र कार्मिकों को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत भी किया जा चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब–उल–जवाब के साथ अतिरिक्त तथ्य प्रस्तुत करते हुये यह बहस की है कि यूजीसी द्वारा शैक्षणिक योग्यता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 व्याख्याता कॉलेज शिक्षा में लागू नहीं होते हैं और इस प्रकार अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2002–03 के विरूद्ध व्याख्याता अंग्रेजी कॉलेज शिक्षा के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है और इस प्रकार अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को नियम, 1978 के अंतर्गत उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड प्रथम के पद पर वर्ष 1995 में आदेश दिनांक 16.11.1995 के द्वारा हुई थी और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2002 में सीधी भर्ती द्वारा कॉलेज व्याख्याता की भर्ती की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.10.2002 के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड प्रथम को उनके पाते हुये वेतन/वेतनमान में डीपीसी आयोजित होने अथवा अन्य आज्ञा प्रसारित होने तक इनमें जो भी पहले हो की अवधि के लिये व्याख्याता के पद पर पदस्थापित किये गये और इस प्रकार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अध्यापक ग्रेड प्रथम के पद पर आदेश दिनांक 11.03.2015 के द्वारा रिवर्ट कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3611/2015 प्रस्तुत की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश जारी किया गया। राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 में यूजीसी द्वारा योग्यता का जो समावेश है उसे आवश्यक माना है, जिसे संशोधित नहीं किया गया है और जहां तक व्याख्याता कॉलेज शिक्षा का संबंध है, वह राज्य सरकार द्वारा नियम बनाये गये हैं। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियम, 2015 का हवाला दिया गया है, जो दिनांक 09.10.2015 से उपयुक्त है और इस प्रकार नियम, 1978 अपीलार्थी के संबंध में लागू होता है। अपीलार्थी संस्कृत कॉलेज शिक्षा में रिक्ति वर्ष 2002–03 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु विचारणीय योग्य है। अपीलार्थी व्याख्याता कॉलेज शिक्षा के पद पर वर्ष 2002–03 के विरूद्ध योग्य थी, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त पद हेतु कोई डीपीसी आयोजित नहीं की गई। जहां तक अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2002–03 के विरूद्ध 3 रिक्त पदों पर कॉलेज व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद पर पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार नहीं किये जाने तथा नियम, 1978 के अंतर्गत अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी इस आदेश के जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/ नियम, 1978 एवं नियम, 2022 को अपीलार्थी की पदोन्नति के संबंध में जो नियम लागू होते हैं, उसे ध्यान में रखते हुये आगामी दो माह की अवधि में नियमानुसार

आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य